जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2024/डी– 8053 दिनांक– 10-10-24

अभिस्वीकृति (Acknowledgemnet)
(प्रारूप–य)

श्री अर्जुन छाबड़ा पुत्र श्री दिनेश कुमार छाबड़ा,
निवासी 11, बजाज नगर एनक्लेव,
गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर

श्री जयंत यादव पुत्र श्री दिनेश कुमार यादव,
जरिये मुख्त्यारआम श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव,
निवासी 25, मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

विषय– निजी खातेदारी आवासीय एकल पट्टा खसरा नम्बर 3401/2403 (पुराना) 3405/3401 (नया) क्षेत्रफल 1347.87 वर्ग मीटर हेतु Ar. Piyush Kumawat द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण मानचित्र दस्तावेजों से सम्बन्धित दस्तावेजों की **अभिस्वीकृति (Acknowledgemnet)** बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा निजी खातेदारी आवासीय एकल पट्टा खसरा नम्बर 3401/2403 (पुराना) 3405/3401 (नया) क्षेत्रफल 1347.87 वर्ग मीटर के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/प्रक्रिया से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद्व से अनुमोदित मानचित्र Stilt+18mt. कार्यालय में प्राप्त हो चुके है व पंजीकृत तकनीकीविद्व द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि व बेटरमेंट लेवी के 5 उत्तर दिनांक चैक जविप्रा कोष में प्राप्त कर लिये गये है।

आप द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुये भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनिमय–2020 के विनिमय संख्या 6(i) एवं 6(ii) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियमों के के अनुसार ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरित निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

अतः आप द्वारा पंजीकृत तकनीकीविद्व से अनुमोदित मानचित्रों अनुसार भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुये भवन निर्माण किया जा सकेगा। स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर